

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान)नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्याक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (I/II/III) / सातवें वेतनमान के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.वि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैण्ड	ग्रेड पे/मैट्रिक्स लेवल
1	जयलाल धाकड़ सेनि. प्रधानाचार्य, कांसया जिला भीलवाड़ा	28-12-56	05-08-78 Sr.T.	04-08-08 30 Y	05-08-2008 II	9300-34800	5400
2	फूलचन्द शर्मा सेनि. प्रधानाचार्य आसपुरा श्रीमाधोपुर(सीकर)	07-07-57	08-09-95 Lect	07-09-15 20 Y	08-09-2015 II	15600-39100	6800
3	पुरुषोत्तम शर्मा प्रधानाचार्य सराना (अजमेर)	18-03-64	01-07-87 Sr.T.	30-06-17 30 Y	01-07-2017 III	15600-39100	6800
4	मोहनलाल प्रधानाचार्य खाजपुरा नया (झुञ्जुनू)	04-03-61	01-07-86 Sr.T.	30-06-16 30 Y	01-07-2016 III	15600-39100	6800


उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे ।


(नन्धमल डिल्ले)
आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर
दिनांक 29-11-2018

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/ACP/बो-2/2017-18

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी() /नियन्त्रण अधिकारी
2. संबंधित संस्था प्रधान
3. संबंधित अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
5. निजी/रक्षित पत्रावली


संबुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर